क्रम संख्या–212 (क) पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08

(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 06 अक्टूबर, 2008 ई०

आश्विन 14, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी)

संख्या 1016/XXIV (8)/2008–12/2004 T.C.

देहरादून, 06 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड की प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवा नियमावली, 2008

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली ''उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवा नियमावली, 2008'' कहलायेगी।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से परिशिष्ट 1 के स्तम्भ 5 में उल्लिखित प्राधिकारी अभिप्रेत हैं;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;

(ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमों या नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अप्राविधिक और अराजपत्रित) सेवा अभिप्रेत है;

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; तथा

(ञ) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट–I में दी गयी है।

परन्तुः

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग 3—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती परिशिष्ट–I के स्तम्भ 6 में उल्लिखित स्रोतों के अनुसार की जायेगी।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हताएँ

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हताएँ

8. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी परिशिष्ट–II के स्तम्भ 3 में उल्लिखित अर्हताएं रखता हो।

अधिमानी अर्हताएँ

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो,

या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित या अधिसूचित की जाये, पहली जुलाई को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अनधिक न हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

भाग 5–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या अवधारित करेगा आयोग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पदों की रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार दी जायेगी।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में, जो आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं, आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हता पूरी करते हों, बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम प्रवीणता सूची के ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को भेज देगा।

आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयन समिति द्वारा सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर के पदों पर भर्ती हेतु एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष

(दो) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राजकीय डिप्लोमा संस्थान का एक प्राचार्य जिसे प्राविधिक शिक्षा निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा – सदस्य

(तीन) सम्बन्धित विषय का प्राविधिक सदस्य, जो किसी विश्वविद्यालय/उपाधि महाविद्यालय में कम से कम आचार्य की श्रेणी का हो, प्राविधिक शिक्षा निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा – सदस्य

टिप्पणी–उपरोक्त (दो) अथवा (तीन) में से एक अधिकारी का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में उल्लिखित सदस्यों के वर्ग से होना आवश्यक है।

(2) सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दो स्थानीय व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे जिनके नाम उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उप नियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा :–

(क) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो विज्ञापन जारी करके,

(ख) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(ग) रोजगार कार्यालय को नियुक्तियां अधिसूचित करके।

(4) चयन समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और अभ्यर्थियों से परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।

(5) चयन के लिए लिखित परीक्षा 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (Objective Type Questions with multiple Choice) की रखी जायेगी, जिसमें पद को आवश्यकतानुरूप प्राविधिक ज्ञान से सम्बन्धित 100 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित 50 प्रश्न कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके लिए कुल दो घंटे निर्धारित होंगे। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु ¼ ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए 05 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(6) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(7) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(8) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वेबसाईट www.ua.nic.in प्रदर्शित की जाएगी या दैनिक समाचार पत्र में जिसका व्यापक परिचालन हो, पर प्रकाशित की जायेगी।

(9) चयन समिति द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कुल अंकों तथा छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों के योग से प्रकट होने वाली प्रवीणता के क्रम में एक सूची बनायेंगी और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेंगी, जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझती है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक हों तो लिखित परीक्षा में प्राविधिक ज्ञान में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। चयन समिति द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(10) चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जाय जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(11) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों के योग को व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड वेबसाईट पर, जनपद के जिला कार्यालय और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(12) अभ्यर्थियों की ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति की जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी दी जायेगी।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 एवं 16 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिख किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में, परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19. (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसे स्थायी नियुक्ति कर दिया जायेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम 3 के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

20. किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय यथा संशोधित "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2002" के अनुसार किया जायेगा।

भाग 7—वेतन आदि

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थाई आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। वेतनमान

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट–I में दिये गये हैं।

22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह स्थायी सरकारी सेवा में है, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी में कर दिया गया हो : परिवीक्षा के दौरान वेतन

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा है, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8—अन्य उपबन्ध

23. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा। पक्ष का समर्थन

24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियमित होंगे। अन्य विषयों का विनियमन

25. जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को, उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

26. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो। व्यावृत्ति

परिशिष्ट–I

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	कुल पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक प्रवक्ता सिविल	5500–9000	15	संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा	लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
2.	सहायक प्रवक्ता यांत्रिक	5500–9000	16	–तदैव–	–तदैव–
3.	सहायक प्रवक्ता विद्युत	5500–9000	10	–तदैव–	–तदैव–
4.	सहायक प्रवक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स	5500–9000	14	–तदैव–	–तदैव–
5.	सहायक प्रवक्ता ऑटोमोबाइल	5500–9000	02	–तदैव–	–तदैव–
6.	सहायक प्रवक्ता कैमिकल	5500–9000	01	–तदैव–	–तदैव–
7.	कर्मशाला अनुदेशक (इंस्ट्रक्टर)	5000–8000	116	–तदैव–	–तदैव–
8.	कला अनुदेशक	5000–8000	15	–तदैव–	–तदैव–
9.	इन्सट्रूमेन्ट रिपेयर	4500–7250	04	संयुक्त निदेशक	–तदैव–
10.	सी0एन0सी0 मशीन ऑपरेटर	4500–7250	02	संयुक्त निदेशक	–तदैव–
11.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	4500–7000	32	निदेशक	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती
12.	ऑफिस ड्राफ्टसमैन	4000–6000	03	संस्था प्रधानाचार्य	
13.	मोटर ड्राइवर कम मैकेनिक	3200–4900	02	–तदैव–	
14.	इलैक्ट्रीशियन	3200–4900	01	–तदैव–	
15.	टाईप राईटर मैकेनिक	3050–4590	03	–तदैव–	
	योग		236		

➢ क्रम संख्या 01 से 06 एवं 08 पर उल्लिखित पद मृत कैडर घोषित कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट–II

क्र0 सं0	पदनाम	विहित अनिवार्य अर्हतायें	आयु सीमा
1	2	3	4
1.	सहायक प्रवक्ता सिविल	इन्जीनियरिंग की सम्बद्ध शाखा में 65 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा एक वर्ष का अनुभव/शिशुक्षता	21–35 वर्ष
2.	सहायक प्रवक्ता यांत्रिक	इन्जीनियरिंग की सम्बद्ध शाखा में 65 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा एक वर्ष का अनुभव/शिशुक्षता	21–35 वर्ष
3.	सहायक प्रवक्ता विद्युत	इन्जीनियरिंग की सम्बद्ध शाखा में 65 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा एक वर्ष का अनुभव/शिशुक्षता	21–35 वर्ष

1	2	3	4
4.	सहायक प्रवक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स	इन्जीनियरिंग की सम्बद्ध शाखा में 65 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा एक वर्ष का अनुभव/शिशुक्षता	21–35 वर्ष
5.	सहायक प्रवक्ता ऑटो0	इन्जीनियरिंग की सम्बद्ध शाखा में 65 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा एक वर्ष का अनुभव/शिशुक्षता	21–35 वर्ष
6.	सहायक प्रवक्ता कैमिकल	इन्जीनियरिंग की सम्बद्ध शाखा में 65 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा एक वर्ष का अनुभव/शिशुक्षता	21–35 वर्ष
7.	कर्मशाला अनुदेशक	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई0/पॉलीटेक्निक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव	21–35 वर्ष
8.	कला अनुदेशक	सम्बद्ध शाखा में दो वर्ष का मान्यता प्राप्त नक्सा नवीस का पाठ्यक्रम (जिसमें शिशुक्ष अवधि सम्मिलित है) ड्राइंग ऑफिस का दो वर्ष का अनुभव	21–35 वर्ष
9.	इन्स्ट्रूमेंट रिपेयर	डिप्लोमा इलैक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रूमेन्टेशन/पोस्ट डिप्लोमा इन्स्ट्रूमेन्टेशन	21–35 वर्ष
10.	सी0एन0सी0 मशीन ऑपरेटर	सम्बद्ध शाखा में जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण–पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई0/पॉलीटेक्निक का प्रमाण–पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा 2–प्रमाण पत्र के बाद 03 वर्ष का औद्योगिक अनुभव	21–35 वर्ष
11.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	स्नातक तथा कम से कम एक वर्ष भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन या इंजीनियरिंग की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा तथा कम से कम एक वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन या एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस	21–35 वर्ष
12.	ऑफिस ड्राफ्टसमैन	सम्बन्धित शाखा में दो वर्षीय नक्सानवीस कोर्स (शिशुक्षता सम्मिलित करते हुए) ड्राइंग ऑफिस का दो वर्ष का अनुभव	21–35 वर्ष
13.	मोटर ड्राइवर कम मैकेनिक	हाई स्कूल के साथ सम्बद्ध व्यवसाय में आई0टी0आई0 या जी0आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिनको सम्बद्ध व्यवसाय का पूरा ज्ञान हो शैक्षिक और तकनीकी अर्हता को शिथिल किया जा सकता है	21–35 वर्ष

1	2	3	4
14.	इलैक्ट्रीशियन	राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय का सम्बन्धित ट्रेड से 03 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ आई0टी0आई0 / जी0आई0टी0आई0 अथवा पॉलीटेक्निक से सम्बन्धित ट्रेड में सर्टिफिकेट	21–35 वर्ष
15.	टाईपराईटर मैकेनिक	हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष टाईपराईटर मैकेनिक के रूप में 05 वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव	21–35 वर्ष

आज्ञा से,

सुब्रत विश्वास,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1016/XXIV(8)/2008-12/2004 T.C., dated October 06, 2008 for general information :

No. 1016/XXIV(8)/2008-12/2004 T.C.
Dated Dehradun, October 06, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Technical Education Department Service :--

UTTARAKHAND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
(NON-GAZETTED TECHNICAL) SERVICE RULES, 2008

PART I–GENERAL

Short Title and Commencement

1. (1) These rules may be called the "Uttarakhand Technical Education (Non-Gazetted and Non Technical) Service Rules, 2008".

(2) They shall come into force at once.

Status of service

2. Uttarakhand Technical Education Department (Non Gazetted Technical) Service is a service comprising Group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) "Appointing Authority" means the authority mentioned in Column 5 of Annexure-I.

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of Indian under Part II of the Constitution.

(c) "Commission" means Public Service Commission, Uttarakhand.

(d) "Constitution" means the Constitution of India.

(e) "Government" means the state Government of Uttarakhand.

(f) "Governor" means the Governor of Uttarakhand.

(g) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules of the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service.

(h) "Service" means the Uttarakhand Technical Education Department (Non Gazetted Technical) Service.

(i) "Substantive appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

(j) "Year of Recruitment" means the period of 12 months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART II–CADRE

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time. Cadre of service

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in the Appendix--I.

Provided that :

(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation, or

(b) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III–RECRUITMENT

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the sources mentioned in column 6 of Appendix--I. Source of recruitment

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes and other categories belonging to the state of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment. Reservation

PART IV–QUALIFICATIONS

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be-- Nationality

(a) A citizen of India, or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanzania and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note--A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualifications

8. A Candidates for direct recruitment to the various posts in the service must have the qualification are given in columm 3 of Appendix--II

Preferential qualifications

9. A candidate who has--

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(ii) obtained a 'B' Certificate of National Cadet Corps shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on July 01 of the year of recruitment in which vacancies are advertised or notified :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note--Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book Volume II Part III.

PART V–PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved

for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories under rule 6 and intimate to the Commission the number of vacancies for the posts within the purview of the Commission and Employment Exchange shall be informed of the vacancies to be filled by direct recruitment in accordance with the rules and orders in force for the time being.

Procedure for Direct Recruitment through the Commission

15. (1) Applications for being considered for selection shall be invited by the Commission in the prescribe form, which may be obtained from the Secretary to the Commission.

(2) The Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with the rule 6, call for interview such number of candidates, fulfilling the required qualifications, as they consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of the candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by such candidates at the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the name of the candidate senior in age shall be placed higher in the merit test by the Commission. The number of the names in the list shall be more (but not more than 25 percent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Procedure for Direct Recruitment through Selection Committee for the Posts Outside the Purview of the Commission

16. (1) There shall be constituted a Selection Committee for recruitment to the posts Outside the purview of the Public Service Commission comprising:

(i) Appointing Authority – **Chairman**

(ii) Principal of Government Diploma Institute under the control of the Department shall be nominated by the Director, Technical Education – **Member**

(iii) Technical Expert of the subject concerned, who should be at least a Reader in any University/Degree College shall be nominated by the Director, Technical Education – **Member**

Note--Out of the member mentioned under (ii) or (iii) above one officer should leading to the Schedule Castes or Scheduled Tribes category.

(2) For direct recruitment the Appointing Authority shall advertise the applications form in two leading Daily newspaper having wide circulation and invite applications from such candidates registered with the Employment Exchange with the State of Uttarakhand.

(3) The Appointment Authority shall invite applications for direct recruitment in the form as published in sub-rule (1) amd notify the vacancies in the following manner--

(a) By issuing advertisement in daily newspapers having wide circulation.

(b) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertisement through radio/television and other employment newspaper.

(c) By notifying the vacancies to the Employment Exchange Office.

(4) The Selection Committee shall scrutinize the applications received and require the candidates to appear at the examination.

(5) Selection Committee shall conduct an examination of two hour duration carrying 150 marks consisting of objective type questions with multiple choice which will include General Studies, General Hindi and Technical Knowledge. While evaluating the question paper one mark shall be awarded for each correct answer and ¼ negative mark for each incorrect answer. Five marks for each completed year of science subject to maximum of 15 marks shall be awarded to the retrenched employees. The merit list shall be prepared on the basis of the aggregate of the marks obtained in the written examination and other evaluations.

(6) After the examination the candidates shall be allowed to carry back the Question Booklet of written examination with him/her.

(7) The Answer Sheet of the written examination shall be in duplicate including the carbon copy and the candidate shall be allowed to carry back the duplicate copy with him/her after examination.

(8) After the written examination the Answer Key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website www.ua.nic.in Published in two daily newspapers having wide circulation.

(9) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate in written the examination and preferential marks for retrenched employees and recommended such number of candidates as it consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks then the candidates obtaining more marks in Technical knowledge of the written examination shall higher in the list. The number of names in the list will be more than the number of vacancies (but not more than 25 percent). The selection committee shall forward the list to the Appointing Authority.

(10) The candidate for selection, shall be required to pay such fee to the Selection Committee, as may be determined by the Government from time to time. No claim for refund of fee shall be entertained.

(11) After completion of the selection process the aggregate of marks obtained by the selected candidates in the test for selection shall be published in daily newspaper having wide circulation and be displayed on notice board of district office of the district and the office concerned.

(12) The candidate shall be permitted to inspect the records pertaining to the selection process and the marks awarded there in by the Selection Committee after payment of such fee, as may be determined by the government from time to time. If a candidate so desired, he shall be provided photocopies of such records on payment of fee at the rate of rupees two per page.

PART VI–APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15 and 16.

18. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years. Probation

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

19. (1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-- Confirmation

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory;

(b) his integrity is certified; and

(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) There in accordance with the Uttarakhand Government Servants confirmation Rules 2002 confirmation is not necessary the order sub-rule (3) of rule 5 that the concerned employee has successfully completed the period of probation shall be deemed to be the order of confirmation.

20. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determine in accordance with the "Uttarakhand Government Servants (Seniority) Rule 2002", as amended from time to time. Seniority

PART VII--PAY ETC.

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time. Scales of pay

(2) The scales of pay at the time of commencement of those rules are given in Appendix--I.

Pay during probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed the departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII–OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendation, either written or oral other than those required under the rules applicable to the post or service, will taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support, directly for indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of person appointed to the service causes-undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding any thing contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

26. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in the regard.

APPENDIX–I

Sl. No.	Name of Post	Pay scale	Total No. of Posts	Appointing Authority	Source of Recruitment
1	2	3	4	5	6
1.	Assistant Lecturer Civil	5500-9000	15	Joint Director Technical Education	Direct recruitment through Public Service Commission
2.	Assistant Lecturer Mechanical	5500-9000	16	-Do-	-Do-
3.	Assistant Lecturer Electrical	5500-9000	10	-Do-	-Do-
4.	Assistant Lecturer Electronics	5500-9000	14	-Do-	-Do-
5.	Assistant Lecturer Automobile	5500-9000	02	-Do-	-Do-
6.	Assistant Lecturer Chemical	5500-9000	01	-Do-	-Do-
7.	Workshop Instructor	5000-8000	116	-Do-	-Do-
8.	Drawing Instructor	5000-8000	15	-Do-	-Do-
9.	Instrument Repairer	4500-7250	04	-Do-	-Do-
10.	C.N.C. Machine Operator	4500-7250	02	-Do-	-Do-
11.	Computer Programmer/ Operator	4500-7000	32	Director	Direct recruitment through Departmental Selection Committee
12.	Office Draftsman	4000-6000	03	Principal	
13.	Motor Driver Cum Mechanic	3200-4900	02	-Do-	
14.	Electrician	3200-4900	01	-Do-	
15.	Typewriter mechanic	3050-4590	03	-Do-	
	Total		236		

Posts mentioned at serial no. 01 to 06 and 08 have been declared Dead Cadre.

APPENDIX–II

Sl. No.	Name of Post	Essential Requisite Qualification	Age Limit
1	2	3	4
1.	Assistant Lecturer Civil	Diploma with 65% marks in subject concerned One year experience/Apprenticeship	21-35 years
2.	Assistant Lecturer Mechanical	Diploma with 65% marks in subject concerned One year experience/Apprenticeship	21-35 years
3.	Assistant Lecturer Electrical	Diploma with 65% marks in subject concerned One year experience/Apprenticeship	21-35 years

1	2	3	4
4.	Assistant Lecturer Electronics	Diploma with 65% marks in subject concerned One year experience/Apprenticeship	21-35 years
5.	Assistant Lecturer Automobile	Diploma with 65% marks in subject concerned One year experience/Apprenticeship	21-35 years
6.	Assistant Lecturer Chemical	Diploma with 65% marks in subject concerned One year experience/Apprenticeship	21-35 years
7.	Workshop Instructor	G.S.T.S. Certificate of three years in concerned discipline or Certificate of G.T.I./I.T.I./Polytechnics in concerned discipline with High school. Three years Industrial experience after the Certificate	21-35 years
8.	Drawing Instructor	Recognised 2 year Draftsman course (Including period of Apprenticeship) in the respective Branch. Two years experiences of Drawing Office	21-35 years
9.	Instrument Repairer	Diploma in Electronics Instrumentation post Diploma Instrumentation	21-35 years
10.	C.N.C. Machine Operator	G.S.T.S. Certificate of three years in concerned discipline or Certificate of G.T.I./I.T.I./Polytechnics in concerned discipline with High school. Three years Industrial experience after the Certificate	21-35 years
11.	Computer Programmer/ Operator	Bachelor and recognized Diploma in Computer Application of minimum one year from Govt. of India/State Govt. Or Recognized Diploma in any discipline of Engg. And Recognized Diploma in Computer Application of minimum one year from Govt. of India/State Govt.	21-35 years
12.	Office Draftsman	Recognized 2 year Draftsman course (Including period of Apprenticeship) in the respective Branch. Two years experiences of Drawing Office	21-35 years
13.	Motor Driver Cum Mechanic	High school with certificate from I.T.I. or G.I.T.I. in respective Trade. Academic and Technical qualification can be relax able to those having through and experience in respective Trade	21-35 years
14.	Electrician	Three years certificate cources respective Trade from Government secondary Technical school Or I.T.I./G.I.T.I. with High school or certificate in respective Trade from Polytechnics	21-35 years
15.	Typewriter mechanic	High school or equivalent 5 years practical experience of type writer Mechanic work	21-35 years

By Order,

SUBRATA BISWAS,
Secretary.